

# लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

## वित्त समिति की कार्यवृत्ति

39

वित्त समिति की बैठक दिनांक 06 नवम्बर, 2015 को सायं 4.00 बजे प्रशासनिक भवन स्थित कमेटी हाल में आहूत की गयी।

बैठक में निम्नवत् अधिकारीगण उपस्थित रहे:-

1. डा० एस० बी० निमसे	कुलपति	अध्यक्ष	उपस्थित
2. प्रो० यू०एन० द्विवेदी	प्रतिकुलपति	सदस्य	अनुपस्थित
3. श्रीमती मधु जोशी,	विशेष सचिव, उ०प्र० शासन, लखनऊ	सदस्य	उपस्थित
4. श्री धीरज पाण्डेय,	संयुक्त सचिव (वित्त) उच्च शिक्षा, उ०प्र० शासन, लखनऊ	सदस्य	उपस्थित
5. डा० अखिलेश मिश्रा	कुलसचिव	सदस्य	उपस्थित
6. श्री एस.के शुक्ला,	परीक्षा नियंत्रक	सदस्य	उपस्थित
7. श्री सुरेश चन्द्र उपाध्याय	वित्त अधिकारी	सचिव सदस्य	उपस्थित

## कार्यवृत्त

### बिन्दु संख्या-01

वित्त समिति की बैठक दिनांक 14 अगस्त, 2015 की कार्यवृत्त एवं अनुपालन आख्या पर समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

### बिन्दु संख्या-02

वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार नगर निगम, लखनऊ को विश्वविद्यालय के मत में रु० 16,31,801/- फिलहाल दिये जाने में कोई आपत्ति नहीं बतायी गयी हैं। अतः उक्त धनराशि का भुगतान नगर निगम को कर दिया जाए तथा प्रस्ताव में वर्णित निम्नांकित कमियों को दूर करने के लिए अपील दायर किये जाने पर सहमति प्रदान की गयी:-

1. जानकीपुरम सेक्टर आई स्थित भवनों का संयुक्त मापन कराकर वार्षिक मूल्य का पुर्णनिर्धारण कराया जाना।
2. वार्षिक मूल्य के आधार पर शैक्षणिक संस्था होने के नाते व्यवसायिक के स्थान पर सामान्य गृहकर लिए जाने के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना।
3. विश्वविद्यालय द्वितीय परिसर में सीवर लाईन, मार्ग प्रकाश व्यवस्था एवं सड़क इत्यादि व्यवस्था का किया जाना।

### बिन्दु संख्या-3

सी.बी. गुप्त पीठ, राजनीति शास्त्र विभाग में कार्यरत मो० कलीम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के ग्रेड-पे में संशोधन कर रु० 1800/- किये जाने की सहमति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की गयी कि यह कार्य-परिषद के अनुमोदन की तिथि से लागू होगी और इस सम्बन्ध में आवश्यक अतिरिक्त धनराशि विश्वविद्यालय सामान्य निधि से पीठ को उपलब्ध कराए जाने पर सहमति प्रदान की गयी।

### बिन्दु संख्या-4

लखनऊ विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में रु० 300/- प्रति व्याख्यान (60 मिनट्स) अधिकतम रु० 12,000/- वार्षिक को बढ़ाकर दिनांक 01.11.2016 से रु० 400/- प्रति व्याख्यान (60 मिनट्स) अधिकतम रु० 16,000/- प्रतिमाह करने पर सहमति प्रदान की गयी।

मधुपेटा

Sushmita

J

3

दीप्ति शर्मा

### बिन्दु संख्या-5

आई.एम.एस. में संविदा पर कार्यरत जो 07 शिक्षक अप्रेजल कमेटी द्वारा अपनी बैठक दिनांक 17.10.2015 में योग्य पाए गये, उन्हें दिनांक 01.11.2015 से वित्त समिति की बैठक दिनांक 20.07.2015 के बिन्दु संख्या -2 में आई.एम.एस. के विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु संविदा पर नियुक्ति सहायक प्रोफेसर की भौति नियत वेतन भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की गयी।

गृह विज्ञान विभाग में संविदा पर कार्यरत शिक्षकों का अप्रेजल भी शीघ्रताशीघ्र करा लिया जाए तथा योग्य पाए गये शिक्षकों को भी 01.11.2015 से वित्त समिति की बैठक दिनांक 20.07.2015 के बिन्दु संख्या -2 में गृह विज्ञान विभाग के सहायक प्रोफेसर हेतु स्वीकृत नियत वेतन दिनांक 01.11.2015 से अनुमन्य किया जाए।

### बिन्दु संख्या-6

पी.एच.डी. प्रवेश इण्टरव्यू बोर्ड में सम्मिलित होने वाले दो वाहय विशेषज्ञों को ₹0 2000/- प्रतिदिन मानदेय तथा विश्वविद्यालय नियमानुसार टी.ए./डी.ए. का भुगतान दिये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

अन्य बिन्दु मात्र अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।

### बिन्दु संख्या-1

भवन एवं निर्माण समिति की बैठक दिनांक 03 नवम्बर, 2015 की कार्यवृत्ति अवलोकित की गयी।

### बिन्दु संख्या-2

लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रांगण में छत्रपति शिवाजी महाराज की घोड़े पर आसीन मूर्ति निर्मित कराये जाने विषयक प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गयी।

### बिन्दु संख्या-3

लखनऊ विश्वविद्यालय में स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के सेवानिवृत्त वरिष्ठ लेखा परीक्षक की सेवाएं (अन्तिम आहरित वेतन-पेंशन) के नियत वेतन के आधार पर 11 माह हेतु लेने के सम्बन्ध में इस प्रतिबन्ध के साथ सहमति दी गयी कि उक्त नियुक्ति संविदा के आधार पर की जाएगी। यह भी निश्चय किया गया कि सम्बन्धित संविदा कर्मी का चयन कुलसचिव, परीक्षा नियंत्रक एवं वित्त अधिकारी की संस्तुति पर किया जाएगा।


### बिन्दु संख्या -4

परीक्षा नियंत्रक / कार्यालय हेतु एक नया वाहन रिप्लेशमेण्ट में क्य किये जाने की सैद्धांतिक सहमति इस प्रतिबन्ध के साथ दी गयी कि वाहन का क्य शासकीय नियमानुसार व बजट उपलब्धता को देखते हुए कुलपति की अनुमति प्राप्त कर की जाएगी।

### बिन्दु संख्या -5

परीक्षा नियंत्रक द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव Poor student aid fund rules में उल्लिखित प्राविधानों पर सामान्य सहमति व्यक्त करते हुए यह निर्देशित किया गया कि Earn by learn scheme में सहभागिता करने वाले छात्र/छात्राओं को ही इस योजना में लाभान्वित किया जाएगा।

मधुजोशी  
(मधु जोशी)  
विशेष सचिव, उच्च शिक्षा,  
उप्रो शासन

  
(धीरज पाण्डे)  
संयुक्त सचिव (वित्त),  
उप्रो शासन

  
(डा० अखिलेश मिश्र)  
कुलसचिव

  
(एस. के. शुक्ल)  
परीक्षा नियंत्रक

  
(सुरेश चन्द्र उपाध्याय)  
वित्त अधिकारी

  
(डा० एस.बी. निमसे)  
कुलपति